न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना संख्या : 131/2007

सायल :-

1. नारायण पुत्र अमराराम
जाति-चौकीदार, निवासी-झुझण्डा
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम गै0सा0 :-

1. कानाराम पुत्र नारायण
2. बाबु पुत्र नारायण
जाति-चौकीदार निवासी-झुझण्डा
तहसील-जैतारण जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:.24.07.2007

उपस्थितः- 1. श्री करणीदान चारण एवं श्री महेन्द्र गुर्रा, अधिवक्तागण, सायल।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 04/07/2015

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-झुझण्डा, तहसील-जैतारण में सायल की खातेदारी एवं कब्जा काश्त सुदा जमीन खसरा नम्बर 240/7 रकबा 11 बीघा की आई हुई हैं। जिस जमीन का एक मात्र मालिक सायल है नकल चालू जमाबंदी साथ पेश की हैं। उपरोक्त जमीन मे सायल काश्त करता है व गैरसायलान को कोई भी कानूनी हक व अधिकार उक्त जमीन मे नहीं हैं। सायल 85-90 साल का वृद्ध व्यक्ति है तथा कमजोर हैं। गैरसायलान लाठी लकडी के बल पर सायल को जमीन से बेदखल करने पर तुले हुवे है तथा उक्त जमीन मे गैरसायलान ने नीवे खोदकर पडवा बनाना शुरु कर दिया हैं। जबकि गैरसायलान को सायल के खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा जमीन मे बिना सायल की ईजाजत के कच्चा व पक्का निर्माण करने का कोई अधिकार नही है परन्तु दिनांक 19/07/2007 को गैरसायलान ने बलपूर्वक नीवे खोदकर कातले रोपने व निर्माण करने पर आमादा हूवे, सायल ने मना किया, तो सायल को धक्का धुम दिये डाडी के बाल पकड कर खीचे व नीचें गिरा दिया फिर लाठी से मारपीट करने पर आमादा हुए सायल के साथ पूसाराम पुत्र नारायण ने बीच बचाव कर छुडाया नही तो जान से मार डालते। इस घटना से पूर्व गैरसायलान ने सायल को बैरहमी से मारपीट कर हाथ तोउ दिया व सिर मे लाठी की मारी तथा सायल को छुडाने के लिऐ मोहन पुत्र नारायण, तोलाराम पुत्र नारायण चौकीदार गये उनको भी मारपीट की जिसका फौजदारी मुकदमा सरकार बनाम कानाराम वगैरा फौज. प्र क. सं. 383/05 जुर्म धारा 341,323,325 आईपीसी का श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट जैतारण के न्यायालय मे लम्बित है जिसकी ता.पेशी 23/07/2007 को है, जिसके संबंधी प्रमाण मे आरोप पत्र चौट प्रतिवेदन व सायल को छुडाने गये सायल के लडके मोंहन के लगी चोटो का कपडो पर आये खुन का फोटोकॉपी साथ पेश की है। इस भूमि मे सायल ने अपने रहवास के लिए कच्चे मकान बनाये हैं, जो उसके लडके पुसाराम को रहने के लिए दिया है एवं अन्य पडवो मे सायल स्वयं निवास करता है तथा गैरसायलान सायल के साथ निवास करते है गैरसायलान की नियत मे फर्क आ गया हैं, जो सायल को कब्जे काश्त से बलपूर्वक बेदखल करेगे व बिना सायल की ईजाजत के कच्चा व पक्का निर्माण करने, कातले रोपने व भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हैं। ऐसी स्थिति मे गैरसायलान के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हैं। गैरसायलान झगडालु व टन्टा फसाद करने वाले व्यक्ति

Scanned by CamScanner

हैं। जबकि लगभग 90 साल का बूढ़ा व असहाय व्यक्ति हैं, जिसके हितो की रक्षा करना कानून व न्यायालय का दायित्व है। गैरसायलान से वह टंटा फसाद व झगडा नही कर सकता हैं। जबकि गैरसायलान सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त सुदा भूमि मे सायल को बेदखल करने पर आमादा है तथा बिना सायल की ईजाजत के अतिक्रमण कर कच्चा व पक्का निर्माण करने पर आमादा हैं। जिन्हें रोका जाना आवश्यक हैं। सायल द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही मे सायल खातेदार होकर कब्जा काश्त सायल का है तथा प्रथम दृष्टया मजबूत मामला हैं। सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दू सायल के पक्ष में हैं। गैरसायलान का कोई अधिकार नही है कि वे सायल के खातेदारी की कब्जा सुदा भूमि मे सायल को बेदखल करे कब्जे काश्त मे रूकावट करे व सायल की बिना इजाजत के कच्चा व पक्का निर्माण करे सायल लगभग 90 साल का बूढा व्यक्ति है तथा गैरसायलान झगडालू व टन्टा पिसाद करने वाले है तथा नौजवान व्यक्ति है जो दिनांक 19/07/2007 को बलपूर्वक रूप से नीवे खोदकर कच्चा व पक्का निर्माण करने लग गये हैं। ऐसी स्थिति मे गैरसायलान को जरिए एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के कच्चा व पक्का निर्माण करने से रोका जाना आवश्यक है क्योकि नोटिस देकर सुनवाई करने से गैरसायलान रूकेगे नही तथा कच्चा व पक्का निर्माण पूरा कर देगें, जिससे दावा का मकसद ही खत्म हो जावेगा इसलिए नोटिस मे छुट देकर एक पक्षीय निषेधाज्ञा गैरसायलान के पक्ष मे जारी की जावें।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। वकील गै0सा0 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया, जो सा0मि0 हैं। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास में पेश हुई। वकील गै0सा0 को जबाब पेश करने का समय दिया गया। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायल के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24/07/2007 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं। सायल के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने एवं कच्चा पक्का निर्माण करने से गै0सा0 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा-झुझण्डा, तहसील-जैतारण में सायल की खातेदारी एवं कब्जा काश्त सुदा जमीन खसरा नम्बर 240/7 रकबा 11 बीघा की भूमि में सायल के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने एवं कच्चा पक्का निर्माण करने हेतु गै0सा0 को न्यायालय हाजा के द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 24/07/2007 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 04/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा -रास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner